भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 325

22 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: प्राकृतिक और जैविक कृषि प्रणालियाँ

325. डॉ. मन्ना लाल रावतः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राजस्थान के उदयपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में प्राकृतिक एवं जैविक कृषि प्रणालियों को अपनाने वाले किसानों की संख्या और ऐसी प्रणालियों के अंतर्गत भूमि के क्षेत्रफल का जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा राजस्थान में पिछले पांच वर्षों के दौरान प्राकृतिक एवं जैविक कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई योजनाओं का जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा प्राकृतिक एवं जैविक कृषि प्रणालियों को अपनाने वाले किसानों के लिए मौजूदा प्रोत्साहनों में वृद्धि की गई है या वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एन.एम.एन.एफ.) के माध्यम से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। राजस्थान में 2.25 लाख किसानों ने 90,000 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती की शुरुआत की है।

वर्ष 2015-16 से परम्परागत कृषि विकास योजना (पी.के.वी.वाई.) के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दिया गया है। पी.के.वी.वाई. के अंतर्गत, राजस्थान में 2.17 लाख किसानों के साथ 1.485 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है।

उदयपुर संसदीय क्षेत्र में पी.के.वी.वाई. और एन.एम.एन.एफ. के माध्यम से कवर किए गए क्षेत्र और लाभान्वित किसानों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	वर्ष	पी.के.वी.वाई. स्कीम में			एन.एम.एन.एफ. स्कीम में		
		क्लस्टर की संख्या (प्रत्येक 20 हेक्टेयर)	**क्षेत्र (हेक्टेयर)**	**किसानों की संख्या**	**क्लस्टर की संख्या (प्रत्येक 50 हेक्टेयर)**	**क्षेत्र (हेक्टेयर)**	**किसानों की संख्या**
1	2015-16	15	300	750	-	-	-
2	2016-17	40	800	2000	-	-	-
3	2018-19	100	2000	4461	-	-	-
4	2025-26*	70	1400	2800	90	4500	11250
कुल		**225**	**4500**	**10011**	**90**	**4500**	**11250**
* वर्ष 2024-25 में क्लस्टर स्वीकृत किया गया तथा वर्ष 2025-26 में किसानों की गतिविधियां आरंभ हुई।							

(ख) से (घ): एन.एम.एन.एफ. के तहत, किसानों को प्राकृतिक खेती करने, प्रशिक्षण, पशुधन (प्रमुख रूप से स्थानीय नस्ल) के रखरखाव/मिश्रण और भंडारण कंटेनरों की खरीद, जैव-इनपुट संसाधन केंद्रों से प्राकृतिक खेती के इनपुट की खरीद सहित प्राकृतिक खेती के इनपुट की तैयारी आदि के लिए 2 वर्ष के लिए प्रति किसान प्रति वर्ष प्रति एकड़ 4000/- रुपये के आउटपुट आधारित प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। एन.एम.एन.एफ. के तहत राजस्थान में किसानों का नामांकन शुरू हो गया है।

पी.के.वी.वाई. के अंतर्गत, किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी.बी.टी.) के माध्यम से ऑन-फार्म और ऑफ-फार्म ओर्गेनिक इनपुट दानों के लिए तीन वर्षों में प्रति हेक्टेयर 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पी.के.वी.वाई. के अंतर्गत एक किसान अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए सहायता प्राप्त कर सकता है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान राजस्थान में पी.के.वी.वाई. के अंतर्गत किसानों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ज़िलवार विवरण अनुबंध-1 पर दिया गया है।

एन.एम.एन.एफ. और पी.के.वी.वाई. के अंतर्गत किसानों के लिए मौजूदा प्रोत्साहनों में परिवर्तन करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

अनुबंध 1

पिछले पांच वर्षों (वर्ष **2020-21** से **2024-25**) के दौरान राजस्थान में पी.के.वी.वाई. के अंतर्गत किसानों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का जिला-वार विवरण

(रुपए लाख में)

क्र. सं.	जिला	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	कुल
1	अजमेर	24.95	12.84	245.17	119.44	91.16	493.56
2	अलवर	32.46	31.01	281.99	94.39	93.69	533.54
3	बांसवाड़ा	2.75	61.74	143.71	0.00	0.00	208.2
4	बारां	9.16	117.24	160.50	106.29	97.74	490.93
5	बाड़मेर	107.36	265.84	488.58	24.82	0.00	886.6
6	भरतपुर	27.52	8.06	16.12	159.75	169.60	381.05
7	भीलवाड़ा	6.46	37.52	195.05	155.33	159.80	554.16
8	बीकानेर	10.47	667.70	52.14	0.00	0.00	730.31
9	बूंदी	14.05	13.02	196.02	0.00	74.79	297.88
10	चित्तौड़गढ़	36.85	15.40	37.55	102.03	123.07	314.9
11	चुरू	38.54	247.84	22.94	151.16	20.78	481.26
12	दौसा	0.00	22.15	144.85	64.47	60.22	291.69
13	धौलपुर	25.30	10.85	6.76	84.92	50.13	177.96
14	डूंगरपुर	34.32	130.61	95.08	66.59	0.00	326.6
15	गंगानगर	16.04	25.55	366.40	243.24	162.56	813.79
16	हनुमानगढ़	0.00	90.69	353.45	210.43	176.39	830.96
17	जयपुर	45.68	317.37	210.66	138.40	147.76	859.87
18	जैसलमेर	2.95	37.00	312.11	1.15	0.00	353.21
19	जालौर	17.11	3.91	10.02	0.00	0.00	31.04

क्र. सं.	जिला	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	कुल
20	झालावाड़	57.88	83.83	4.66	203.85	122.08	472.3
21	झुंझुनूं	26.62	116.03	221.53	86.78	126.36	577.32
22	जोधपुर	104.09	62.08	246.30	1.01	0.00	413.48
23	करोली	25.33	55.79	40.70	81.52	65.76	269.1
24	कोटा	15.46	22.75	70.41	60.60	88.11	257.33
25	नागौर	7.07	249.58	812.08	221.28	74.71	1364.72
26	पाली	0.00	94.43	475.40	0.00	0.00	569.83
27	प्रतापगढ़	0.80	28.90	161.61	0.00	0.00	191.31
28	राजसमंद	25.78	44.34	89.64	114.61	98.38	372.75
29	सवाई माधोपुर	0.00	99.18	208.06	102.69	79.08	489.01
30	सीकर	0.00	21.12	356.09	18.21	0.00	395.42
31	सिरोही	23.25	3.88	36.92	0.00	0.00	64.05
32	टोंक	0.00	60.56	265.05	87.19	80.82	493.62
33	उदयपुर	0.00	41.77	110.55	0.00	0.00	152.32
34	मुख्यालय जयपुर	0.00	9.72	390.37	188.39	60.00	648.48
कुल		**738.27**	**3110.29**	**6828.46**	**2888.54**	**2222.99**	**15788.55**

*****